न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 90 / 2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजूराम पुत्र बाबूलाल गुर्जर, निवासी लाडपुरा, तहसील सोजत जिला पाली।	1	महेन्द्रराम पुत्र लालुराम
	2	भारतराम पुत्र लालुराम
	3	बगदाराम पुत्र लालुराम
	4	अमराराम पुत्र लालुराम जाति गुर्जर नि0 लाडपुरा, तह0 सोजत जिला पाली।
	5.	तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे एवं श्री कुन्दनमल अधिवक्तागण वादी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 28.10.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लाडपुरा पटवार हल्का गुडाबींजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 245 रकबा 0.5400 हैक्टर की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी एवं प्रतिवादी संख्या 4 की खरीदसुदा संयुक्त सामालती कब्जा काश्त की स्थित है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी का 1/6 का 1/2 यानि 1/12 हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का भी राजस्व रेकर्ड अनुसार हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पूर्व में राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान गणपतमल व छोटाराम पिसरान जोधाराम से खरीदसुदा है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि का आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड मे विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है अर्थात वादस्थ कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त सामालती दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादस्थ भूमि पर वादी का अपने 1/12 हक हिस्से पर कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक तरीके से चला आया है। वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की होने से वादी का प्रत्येक इंच भूमि पर हक हिस्सा निहित है तथा वादी अपने पुश्तैनी भूमि पर माफिक हक हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन प्रतिवादी 1 से 4 जिन्होने गत 1--2 वर्षो में ही वादी के पूर्वजों पुश्तैनी कृषि भूमि को उसके परिवार रिश्तेदारों से खरीद की है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादस्थ कृषि भूमि में मौके पर वादी के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलंदाजी, बाधा अड़चन कारित करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादस्थ कृषि भूमि में वादी द्वारा अपने 1/12 हक हिस्से पर लाखो रूपये विनियोजित कर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपजाउ योग्य बनाया हुआ है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य कब्जे काश्त सीमाओं को लेकर मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते है। वादी द्वारा दिनांक 18/08/2019 को वादस्थ कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की कृषि भूमि की सार सम्भाल हेतु गया तो मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मिले, जिन्होने वादी को वादस्थ भूमि में उसके हक हिस्से में कब्जे काश्त उपयोग उपभोग, नहीं करने की ऐलानिया धमकियां देने लगे तथा ऐलानिया कहा कि यदि उक्त भूमि पर पैर रखने की हिम्मत हुई तो जान से खत्म कर देगे। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से हाथा जोड़ी की कि उपरोक्त भूमि में मैं भी यह सह खातेदार हूं, मेरा भी मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को धमकीयां देने लगे कि तुझे तेरे हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने देगे तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादस्थ कृषि भूमि का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर विधिक बंटवाड़ा करवाने हेतु निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादी को वैध विभाजन करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा वादी को ऐलानिया धमकियां देने लगे कि "हम तो बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करके रहेगे, तेरे जो करना है वो कर ले तथा वादी को वादस्थ भूमि के कब्जे काश्त उपयोग,उपभोग में दखलंदाजी करने की धमकिया देने लगे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादस्थ कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य आज दिनांक तक कोई वैध बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा वादस्थ भूमि का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये अन्यत्र अजनबी व्यक्ति मौके पर वैध विभाजन के अभाव में वादस्थ भूमि के कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहेगी तथा अजनबी व्यक्ति वादी के कब्जे काश्त में अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा। पक्षकारान के मध्य मुकदमाबाजी एवं रंजिशें बढेगी तथा वादी अपने मौके पर अपने हक हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिये वादी वादस्थ कृषि भूमि में अपने 1/12 हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा किये गये विधि विरूद्ध कृत्य को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की राजस्व रेकर्ड में संयुक्त एवं सामलती एवं खरीदसुदा भूमि होने से एवं वादी द्वारा दिनांक 18/08/2019 को वादी द्वारा वादस्थ भूमि मे अपने हक हिस्से की सार सम्भाल हेतु मौके पर जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के द्वारा वादी को वादस्थ भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने की ऐलानिया धमकियां देने से व वादस्थ भूमि का बिना वैध विभाजन करवाये अन्य व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण की ऐलानिया धमकियां देने से तथा वादी को वादस्थ भूमि में प्राप्त हक हिस्से एवं कब्जे काश्त से बेदखल करने की ऐलानिया धमकियां देने से व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादस्थ भूमि का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर विधिक बंटवाड़ा करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा साफ इंकार हो जाने से वाद कारण

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

समुकाम ग्राम लाडपुरा तहसील सोजत उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम लाडपुरा तहसील सोजत में स्थित होने से एवं वाद बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का होने से तहसीलदार(भूमि धारक) को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 5 बनाया गया है। इस प्रकार अधिवक्तामय वादी ने राजस्व वाद पत्रमय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर किये जाने की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम लाडपुरा के वर्तमान खसरा संख्या 245 रकबा 0.5400 हैक्टर की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त तथा प्रतिवादी संख्या 4 की खरीदसुदा भूमि है, जिसमें वादी का 1/12 हक हिस्से खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है, हक हिस्से का वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक बंटवाड़ा करवा कर राजस्व रेकर्ड में अलग में तरमीम करवाये जाने तथा वादी के कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी एवं बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते [illegible] तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री महेशनारायण ओझा ने वकालतनाम व जवाब दावा दिनांक 23.03.2021 को पेश किया सा0मि0 है जो अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जबाबदावा में अंकित किया है कि ग्राम लाडपुरा में खसरा नंबर 245 रकबा 0.5400 है0 की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि का मौके पर विभाजन हो रखा है व उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी रेकर्ड पर दर्ज है। किसका कितना हिस्सा आता है, यह पक्षकारों को साबित करना होता है। मौके पर उपरोक्त कृषि भूमि विभाजित हैं वादी का हिस्सा पूर्व की तरफ मौके पर विभाजित है व उक्त कृषि भूमि विभाजन के बाद मौके पर वादी के हिस्से में आई हुई है, जो कृषि भूमि वादी के हिस्से की छुटी हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादी चाहे काश्त करें, ये वादी पर निर्भर है। पैरा नम्बर 02 वादी के प्रतिवादीगण पर गलत आरोप लगा कर यह वाद पेश किया है जो गलत है। पैरा नम्बर 02 वाद का गलत होने से अस्वीकार है। पैरा नंबर 03 का जबाब में वादी यह लिखना गलत है कि वादी ने लाखो रूपये खर्च किये हो, पूर्व की तरफ जो वादी के हिस्से की जमीन पडी है, जिस पर वादी स्वयं काश्त नही करना चाहता व उपरोक्त पूर्व की तरफ जो मौके पर विभाजन हो रखा है, वो वादी की सहमति से हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा दखलअंदाजी का यह गलत दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया है। पैरा नंबर 04 गलत होने से अस्वीकार है। मौके पर सभी खातेदार अपने अपने हिस्से में काबिज काश्त हैं। धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता। पूर्व की तरफ वादी सहमति से जो विभाजन किया गया है। उस पर वादी काश्त करे तो प्रतिवादीगण को कोई उज्र एतराज नही हैं। परन्तु वादी सहमति देने के बाद व स्वयं के द्वारा मौके पर विभाजन करवाने के बाद प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए यह वाद पेश किया गया हैं काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। सहखातेदारों के विरूद्ध कानूनी रूप से स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश नही हो सकता। वाद बार्ड बाई लॉ है। पैरा नंबर 05 गलत होने

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

से अस्वीकार हैं। मौके पर विभाजन हो रखा है। उसी अनुसार रेकर्ड में खातेदारों के बीच विभाजन करवाने का प्रतिवादीगण स्वयं चाहते है परन्तु वादी की नियत खराब है, प्रतिवादीगण के द्वारा जमीन खरीदने के बाद से ही वादी प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद करने का कोई वैधिक अधिकार नहीं है। बिनायदावा के अभाव में वादी का वाद खारीज करने योग्य है। पैरा नंबर 06 के जबाव में वादग्रस्त कृषि भूमि लाडपुरा में अवश्य आई हुई है। लेकिन स्थायी निषेधाज्ञा का वाद गलत पेश किया है। जो खारिज योग्य है। वाद पत्र के पैरा नंबर 07 के जबाब मे तहसीलदार, सोजत भूमि धारक है, जिनके विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस देना अवश्य है। जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। पैरा 08 कानूनी अंकित किया है तथा पैरा 09 की ईस्तदुआ वादी गलत होना अंकित किया है। इस प्रकार जबाब दावा पेश कर दावा मय खर्चा खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

दिनांक 22.03.2021 को अधिवक्ता मय वादी ने माफिक राजस्व रेकर्ड एवं मौके अनुसार उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत होने से प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 सादिर की जाकर, सरहद मौजा लाडपुरा, प0ह0 गुड़ाबीजा, तह0 सोजत के खसरा नम्बर 245 रकबा 0.5400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि का पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2021/853 दिनांक 27.07.2021 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहे जाने पर तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/3919 दिनांक 06.10.2021 द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 अटल सेवा केन्द्र गुड़ाबीजा में आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

पत्रावली आज दिनांक 28.10.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत में पेश होने पर अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण 01 से 04 उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार स्वीकारोक्ति/सहमति उभयपक्षों के अधिवक्तागण ने दौराने बहस की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाना, खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

-: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा लाडपुरा, प0ह0 गुड़ाबींजा, तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.5400 हैक्टर किस्म बारानी बा0अ0 की भूमि का बंटवाडा / विभाजन अर्थात खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्तावमय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0स0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	राजुराम पुत्र बालुराम जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	245 / 1	0.0450	बा0अ0	0.225
	कुल योग	1	0.0450	बा0अ0	0.225
2.	अमराराम पुत्र लालुराम 4 / 33 हिस्सा बगदाराम पुत्र लालुराम 29 / 132 हिस्सा भारत राम पुत्र लालुराम 29 / 132 हिस्सा महेन्द्र राम पुत्र लालुराम 29 / 66 हिस्सा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	245	0.4950	बा0अ0	2.475
	कुल योग	1	0.4950	बा0अ0	2.475

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(आ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजूराम पुत्र बाबूलाल गुर्जर, निवासी लाडपुरा, तहसील सोजत जिला पाली।	1	महेन्द्रराम पुत्र लालुराम
	2	भारतराम पुत्र लालुराम
	3	बगदाराम पुत्र लालुराम
	4	अमराराम पुत्र लालुराम जाति गुर्जर नि0 लाडपुरा, तह0 सोजत
	5	तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 90 / 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे एवं श्री कुन्दनमल अधिवक्तागण वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा लाडपुरा, प0ह0 गुडावीजा, तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.5400 हैक्टर किस्म बारानी बा0अ0 की भूमि का बटवाडा / विभाजन अर्थात खातेदारो के बीच खसरा नम्बर, रकबा एव लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्तावमय नजरी नक्शे को निर्णय एव डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0स0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	राजुराम पुत्र बालुराम जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	245 / 1	0.0450	बा0अ0	0.225
	कुल योग	1	0.0450	बा0अ0	0.225
2.	अमराराम पुत्र लालुराम 4 / 33 हिस्सा बगदाराम पुत्र लालुराम 29 / 132 हिस्सा भारत राम पुत्र लालुराम 29 / 132 हिस्सा महेन्द्र राम पुत्र लालुराम 29 / 66 हिस्सा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	245	0.4950	बा0अ0	2.475
	कुल योग	1	0.4950	बा0अ0	2.475

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय एव डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.10.2021 को जारी की गई।

(गोपाल गिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			